मा॰ उ.प्र. के मध्ये

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक– 115 /रा०सू०आ०/रजि०/2021 दिनांक– 30 जुलाई, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में आने वाली द्वितीय अपील/शिकायत की संवीक्षा हेतु वर्तमान में 16 बिंदुओं की चेक लिस्ट प्रचलन में है। उक्त चेक लिस्ट के आधार पर संवीक्षा पटल के कर्मियों द्वारा द्वितीय अपील/शिकायत की संवीक्षा की जाती है। आयोग में आने वाली विभिन्न द्वितीय अपील/शिकायत की संवीक्षा के दौरान पाया गया है कि कई द्वितीय अपील/शिकायत में अन्य त्रुटियां भी पाई जा रही हैं। अतः 16 बिंदुओं की उक्त चेक लिस्ट को कार्यालय आदेश के साथ संलग्न 21 बिंदुओं की चेक लिस्ट से प्रतिस्थापित किया जाता है।

तदनुसार संवीक्षा पटल के कर्मियों द्वारा कार्यालय आदेश के साथ संलग्न चेक लिस्ट पर द्वितीय अपील/शिकायत की संवीक्षा की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

यह आदेश माननीय मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जा रहा है।

30/7/2021
प्रशांत बिलगैयाँ
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– निजी सचिव, मा० मुख्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ,
2– समस्त निजी सचिव, मा० सूचना आयुक्तगण, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग लखनऊ,
3– सचिव, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ,
4– रजिस्ट्रार, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ,
5– संयुक्त रजिस्ट्रार, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ,
6– उपसचिव, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ,
7– वित्त एवं लेखाधिकारी, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ,
8– प्रभारी अधिकारी नजारत, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ,
9– शोध अधिकारी, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ,
10– संवीक्षा पटल के समस्त कर्मचारीगण, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ।

30-07-2021
अंकुर गर्ग
संयुक्त रजिस्ट्रार

शिकायत/अपील परीक्षण टिप्पणी

'हाँ/नहीं' में से जो लागू न हो वह काट दें।

1- क्या शिकायत/अपील पर शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता के हस्ताक्षर है? हाँ / नहीं

2- क्या शिकायत/अपील पठनीय है? हाँ / नहीं

3- क्या द्वितीय अपील/शिकायत में संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में है? हाँ / नहीं

4- क्या द्वितीय अपील/शिकायत मय संलग्नक मानक आकार के पेपर पर स्वच्छ हस्तलिखित या टाइप शुदा है? हाँ / नहीं

5- क्या शिकायत/अपील 'उत्तर प्रदेश सूचना आयोग' को सम्बोधित है? हाँ / नहीं

6- क्या शिकायत/अपील उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के क्षेत्राधिकार की है? हाँ / नहीं

7- क्या शिकायत/अपील के साथ अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र की प्रति संलग्न है? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो धारा 6(1) के आवेदन का दिनांक ....

8- क्या जनसूचना अधिकारी का पदनाम तथा पता अधूरा/अस्पष्ट/गलत है? हाँ / नहीं

9- क्या अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र में सूचना न मांगकर अन्य किसी कार्यवाही की प्रार्थना की गयी है? हाँ / नहीं

10- (अ) क्या यह शिकायत/अपील जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में कोई आदेश पारित न किए जाने के कारण दायर की गयी है? हाँ / नहीं

(ब) यदि शिकायत/अपील जनसूचना अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होकर दायर की गयी है तो क्या जनसूचना अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न की गयी है? हाँ / नहीं

11- क्या अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत दो या दो से अधिक आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में यह केवल एक शिकायत/अपील प्रस्तुत की गयी है? हाँ / नहीं

12- क्या आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 19(3) के तहत प्रस्तुत द्वितीय अपील के साथ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 19(1) तहत दायर की गयी प्रथम अपील की प्रति संलग्न की गयी है? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो प्रथम अपील का दिनांक ....

13- (अ) क्या यह द्वितीय अपील, अपीलकर्ता की प्रथम अपील पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में कोई आदेश पारित न किये जाने के कारण दायर की गई है? हाँ / नहीं

(ब) यदि अपीलकर्ता ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर की है, तो क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो उक्त आदेश का दिनांक ....

14- क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर किये जाने की तिथि से 45 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर की गयी है? हाँ / नहीं

15- क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम तथा पता अधूरा/अस्पष्ट/गलत है? हाँ / नहीं

16- क्या द्वितीय अपील/शिकायत की मूल प्रति संलग्न है? हाँ / नहीं

17- क्या अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा प्रावधानित अनुतोष न मांगकर किसी अन्य अनुतोष की मांग की है? हाँ / नहीं

18- क्या सूचना प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत अनुरोध में 500 से अधिक शब्द हैं? हाँ / नहीं

19- क्या प्रथम अपील नियत अवधि से पूर्व दायर की गई है? हाँ / नहीं

20- यदि द्वितीय अपील कालबाधित है, तो क्या विलम्ब का कारण उल्लिखित है ? हाँ / नहीं

21- क्या इस तथ्य का नियमानुसार सत्यापन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में कोई अन्य द्वितीय अपील/शिकायत प्रस्तुत नहीं की गयी है? हाँ / नहीं

यदि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई त्रुटि है तो नीचे उल्लेख करें–

....

....

....

परीक्षणकर्ता की संस्तुति

शिकायत/अपील में कोई त्रुटि नहीं है तथा यह पंजीकरण करने योग्य है। इसको सुनवाई कक्ष संख्या .... को भेजा जाये।

अथवा

शिकायत/अपील में उपर्युक्त अंकित त्रुटियाँ है तथा इन त्रुटियों का उल्लेख करते हुए इसको वापस किया जाये।

अथवा

अपील निर्धारित अवधि के बाद दायर की गयी है।

परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

मैंने उपर्युक्त शिकायत/अपील का परीक्षण किया है तथा आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील (यदि कोई है) तथा धारा 18/19(3) के तहत प्रस्तुत शिकायत/द्वितीय अपील पर फ्लैग लगा दिये गये है।

परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

शिकायत/अपील को पंजीकृत कर सुनवाई कक्ष संख्या .... को भेजा जाये।

अथवा

शिकायत/अपील त्रुटिपूर्ण है। त्रुटियाँ इंगित करते हुए इसे शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता को वापस करें।

अथवा

अपील निर्धारित अवधि के बाद दायर की गयी है। अपील को पंजीकृत करते हुए पीठासीन अधिकारी, सुनवाई कक्ष संख्या .... को विलम्ब के बिन्दु पर सुनवाई कर यथोचित निर्णय लेने हेतु भेजा जाये।

रजिस्ट्रार